गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 154वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 28.09.2019 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 154वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 28.09.2019 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1.	श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम, आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ		अध्यक्ष
2.	श्रीमती कंचन वर्मा, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद		उपाध्यक्ष
3.	श्री अजय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी गाजियाबाद		सदस्य
4.	श्री दिनेश चन्द्र, नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद		सदस्य
5.	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मेरठ मण्डल, मेरठ		सदस्य
6.	श्री सतीश चन्द्र गौड, चीफ कोआर्डिनेट प्लानर एन0सी0आर0 सेल, गाजियाबाद		सदस्य
7.	श्री संतोष कुमार, डी0जी0एम0, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम		सदस्य
8.	श्री एस0सी0 राय संयुक्त आवास आयुक्त सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सैक्टर–16, वसुन्धरा (मेरठ जोन)		सदस्य
9.	श्री विकास गोठवाल, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ।		सदस्य
10.	मौ0 आसिफ खान		गैर सरकारी सदस्य
11.	श्रीमती कृष्णा त्यागी		गैर सरकारी सदस्य
12.	श्री सचिन डागर		गैर सरकारी सदस्य
13.	श्री हिंमाशु मित्तल		गैर सरकारी सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदया एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0		विषय	निर्णय
154/1 प्रशासन		प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 25.06.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की 153वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 25.06.2019 के मद सं0 153/16 को छोड़कर शेष कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई। मद सं0 153/16 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।
154/2 प्रशासन		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 153वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 25.06.2019 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या ।	बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की 153वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 25.06.2019 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
154/3 नियोजन		नेहरु नगर स्थित प्राधिकरण Godown की भूमि को आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि सम्भवतः इसी भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव पूर्व में भी प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही वर्तमान तक की गयी से भी बोर्ड को पुनः अवगत कराया जाए। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत स्थल का गाजियाबाद महायोजना 2001 व 2021 तथा विभागीय ले–आउट में उक्त भूमि का क्या भू–उपयोग निर्धारित है का भी अध्यन कर सुस्पष्ट प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
154/4 नियोजन		गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक/इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावनुसार अवलोकित किया गया।
154/5 नियोजन		गाजियाबाद विकास के क्षेत्र के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माणों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। क्रय योग्य एफ0ए0आर0 हेतु आवेदन मूल मानचित्र स्वीकृति के आवेदन पत्र के साथ ही प्रस्तुत किया जाये। क्रय योग्य एफ0ए0आर0 को किश्तों में लिए जाने का शासनादेश है, अतः इस प्रकरण पर शासन से अनुरोध किया जाना उचित होगा। उक्त के अतिरिक्त OBPAS की व्यवस्था प्राधिकरण में लागू हो गई है, अतः Plinth Level की चेकिंग व SMS की व्यवस्था शासनादेश व OBPAS गाईडलाईन के अधीन

		की जाये।
154/6 नियोजन	वर्षा जल संचयन हेतु भवन निर्माण में डयुअल पाईप वाटर सिस्टम को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
154/7 नियोजन	ग्राम–दुहाई खसरा संख्या–639 तथा ग्राम प्रहलादगढी के खसरा संख्या–676/677 के ग्रीन बैल्ट की भूमि से सी0एन0जी0 पम्प की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
154/8 नियोजन	खसरा संख्या–771/772 ग्राम सैदपुर हुसैनपुर डीलना मोदीनगर गाजियाबाद की भूमि पर पैट्रोलियम क्लास–बी–20 के0एल0 के भण्डारण किये जाने हेतु अण्डरग्राउण्ड टैंक/पम्प की अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
154/9 मुख्य अभियन्ता	गाजियाबाद नगर में यातायात नियंत्रण हेतु विभिन्न चौराहों पर आईटीएमएस एवं इन्टीग्रेटिड कन्ट्रोल रूम की स्थापना।	**ITMS** का प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
154/10 मुख्य अभियन्ता	राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अन्तराष्ट्रीय स्टेडियम से मेरठ रोड तक 45 मी0 चौडी जोनल रोड के निर्माण के वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
154/11 मुख्य अभियन्ता	नेहरूनगर आवासीय योजना में चन्दशिला अपार्टमेन्ट के बहुमंजिले भवनों के मूल्य निर्धारण में भूमि दर आदि पर छूट के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावनुसार केवल चन्द्रशिला अपार्टमेन्ट हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।
154/12 मुख्य अभियन्ता	एन0एच0–24 (हापुड रोड) से एन0एच0–58 (मेरठ रोड) तक नार्दन पेरीफेरल रोड के निर्माण के वित्त पोषण हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
154/13 मुख्य अभियन्ता	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत राजस्व ग्राम–मसूरी में ग्राम समाज की भूमि पर 1440 (288+1152) ई0डब्लू0एस0 जी+3 भवनों की निर्माण लागत में वृद्धि के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।
154/14 सम्पत्ति अनु0	श्री के0सी0 साहा लोकायुक्त बिहार को आवंटित भवन सं0–गोल्डन बैल 403 में जमा धनराशि को बिना कटौती के धनराशि वापस किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

154/15 भू–अर्जन		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना में क्रियान्वयन हेतु नगर निगम गाजियाबाद को हस्तांतरित भूमि पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव पर सहमत होते हुए शासन को शुल्क में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
154/16 भू–अर्जन		प्राधिकरण के विरूद्ध दायर वादों में पैरवी हेतु अधिवक्ताओं के इनपेनलमेन्ट की शर्तों एवं दशाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव संशोधित कर आगामी बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये।
154/17 प्रशासन		श्री राजेन्द्र कुमार त्यागी, सेवानिवृत्त विधि अधिकारी को सेवानिवृत्ति उपरान्त पेंशन एवं उपादान भुगतान के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह पाया गया कि जब पद सृजित ही नहीं है तो पेंशन दिये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रस्ताव निरस्त किया गया।
154/18		मद संख्या–153/33 दिनांक 25.06.2019 पर मै0 ईगल कान्टिनेन्टल फूड्स प्रा0 लि0 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। विचार विमर्श उपरान्त बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विरोध किया गया तथा नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि लेखपाल की आख्या ही अग्रसारित कर दी गयी है जो कि उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी द्वारा उच्च स्तर से स्थल निरीक्षण कराकर प्रकरण के सम्बन्ध में वास्तविक आख्या उपलब्ध करायी जाये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

(संतोष कुमार राय)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(कंचन वर्मा)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

3/10/19

(अनीता सी0 मेश्राम)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण /
आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ